माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प के समक्ष

1. **बिठोवा पिता कडू**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

2. **रामदास पिता कडू**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

3. **सोमजी पिता कडू**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

4. **एकनाथ पिता कडू**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

5. **ताबाबाई बेवा कडू**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. **राधाबाई बेवा यादव**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

2. **लीलाबाई पिता यादव**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

3. **कलाबाई पिता यादव**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

4. **केशरबाई पिता यादव**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

5. **सावित्रीबाई पिता यादव**

   निवासी – ग्राम बंभाडा तहसील एवं जिला बुरहानपुर

... 2 पर

6. **बाबूराव पिता पांडुरंग**

   निवासी – ग्राम कोदरी तहसील एवं जिला बुरहानपुर

7. **पुण्डलिक पिता पांडुरंग**

   निवासी – ग्राम कोदरी तहसील एवं जिला बुरहानपुर

8. **रतिलाल पिता पांडुरंग**

   निवासी – ग्राम कोदरी तहसील एवं जिला बुरहानपुर

9. **किशोर पिता बाबूराव**

   निवासी – ग्राम कोदरी तहसील एवं जिला बुरहानपुर

... प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 209–तीन/2015 जिला बुरहानपुर

विठोवा पिता कडू आदि विरूद्ध राधाबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–2–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। 2/ आवेदकों द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इन्दौर संभाग के प्रकरण कमांक 17/2004–05/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–12–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा संहिता की धारा 250 का आवेदन तहसील न्यायालय में इस बावत प्रस्तुत किया कि आवेदकगण उनकी सर्वे कमांक 157 की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है अतः उसे कब्जा दिलाया जाये। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 8–10–2001 द्वारा आवेदकगण का अवैध कब्जा सिद्ध नहीं करने के कारण अनावेदकगण का आवेदन निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जबाव, पटवारी प्रतिवेदन एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर	

कोई विवेचना नहीं किया जाना पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8—10—02 के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर गुण—दोष के आधार पर निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य